



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082022-238151
CG-DL-E-17082022-238151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3704]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944

No. 3704]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 अगस्त, 2022

आय-कर

का.आ. 3878(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पांचवे परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड की अधिसूचना, जो संख्यांक 1494(अ), तारीख 30 मार्च, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1छ) के उपबंध ऐसे व्यक्ति (केता होने पर) को लागू नहीं होंगे, जो अधिनियम की धारा 6 के निबंधनों में अनिवासी है और जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 99/2022/फा. सं. 370142/9/2022-टीपीएल भाग (2)]

मृणालिनी कौर सप्रा, निदेशक